

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा

विषय:- राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम फूलवा की जमाबन्दी संवत् 2079 से 2080 के खाता संख्या 212 में मेरा/हमारा नाम रत्नाम देवी पति अंबर दर्ज हैं जो अशुध्द हैं, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुध्द नाम रत्नाम देवी पति अंबर हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक

अ.नि. रत्नाम देवी  
अधी के स्मेलन दस्तावेजों अनुसार रत्नाम देवी पति अंबर के स्थान पर  
रत्नाम देवी पति अंबर के नाम शुध्द किया जाना उचित है।

17.10.25  
अ.नि. (17/10/25)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प. सायन्स

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित हैं।

G.C.M.S- 2025/624

आदेश

तहसीलदार समदड़ी  
तहसीलदार - समदड़ी

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/ 1718

दिनांक:- 17/10/2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम फूलवा की जमाबन्दी संवत् 2079 से 2080 के खाता संख्या 212 में रत्नाम देवी पति अंबर के स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज रत्नाम देवी पति अंबर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना, बालोतरा